संख्या-285/2018/2682/22-2-2017-17(751)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 05 अप्रैल, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुन्दर पुत्र श्री बैजू पासी, निवासी जनपद-लखनऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-37123/प्रोबे0-5-दयायाचिका/445 दिनांक 12-10-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सुन्दर पुत्र श्री बैजू पासी, निवासी-ग्राम-हैबत मऊ मवईया, थाना-मोहनलालगंज जनपद-लखनऊ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 05.01.1994 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, फरसा एवं लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-553/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 /एस0टी0) एक्ट, लखनऊ के आदेश दिनांक 25.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी का 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहा है तथा 01 अन्य सहअभियुक्त जमानत मुचलके पर रिहा। बन्दी द्वारा दिनांक 19.04.2016 तक 07 वर्ष 08 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष 07 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी सुन्दर (बन्दी संख्या-182/2008) पुत्र श्री बैजू पासी, निवासी जनपद-लखनऊ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-285/2018/2682(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in